

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :13 / प्र०अ०(त०स०) / जोन-1 / शमन / 2014-15 दिनांक / 09 / 2014
विनियमितीकरण पत्र 01-10-2014



यह विनियमितीकरण उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र स्व० सरजू प्रसाद द्वारा पार्ट आफ साईट नं०-53 सिविल स्टेशन, उपविभाजित भूखण्ड संख्या-53/4 बंगला नं०-37 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-



- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 02 अद्द वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- प्रस्तुत शमन मानचित्र बेसमेन्ट में स्टोर, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कार्यालय भवन का निर्माण विनियमित किया गया है, नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तत्वत उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहरक्षामी उसे विलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवरस्था पुर्नस्थापित करना अनिवार्य होगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

✓ 11/10/2014
(पुक्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (त०स०-२)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद


2 June
94/52/4282




SITE PLAN




In DE
Complying Shadowless




FIRST FLOOR PLAN



TERRACE PLAN




SECTION OF STAIR CASE



NOTE :-

**SANCTION / EXIST. WORK SHOWN THUS -
COMPOUNDING AREA SHOWN THUS -
NON.COMPOUNDING AREA SHOWN THUS -**



AREA DETAIL :-		COMPOUNDED AREA	EX.BCOMP. AREA (cm ²)
1	DOOR D1 1200x2400	TOTAL AREA OF PLOT	-
2	DOOR D2 900x2100	ROAD WIDENING	-
3	DOOR D3 750x2100	ENCROACHMENT AREA	-
4	WINDOW W1 4000x2400	NET AREA	= 17.92 * * *
5	WINDOW W2 1200x1650	EXIST COVD. AREA ON BASEMENT FLOOR	= 139.67 * * *
6	VENT V 750x600	EXIST COVD. AREA ON GROUND FLOOR	= 45.26 * * *
		DIST COVD. AREA ON FIRST FLOOR	= 59.30 * *
		EXIST COVD. AREA ON SECOND FLOOR	= 59.30 * *
		OPEN AREA	= 39.77 * *
		MUMTY AREA	= 10.69 * *
		COMPOUNDED AREA CALCULATION	
		BASEMENT FLOOR	NIL
		GROUND FLOOR + F.F. LO DOR	NIL
		SECOND FLOOR	NIL
		TOTAL COMP. AREA	NIL
		TOTAL NON COMP. (G.F.+F.F.+S.F.)	

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.			
NORTH :	SCALE - 1 : 100	SIZE	DETAIL :-
		1.10	TOTAL AREA OF PLOT
		1.50	ROAD WIDENING
		1.50	ENCROACHMENT AREA
		1.50	NET AREA
		1.50	EXIST COVD. AREA ON BASEMENT FLOOR
		1.50	EXIST COVD. AREA ON GROUND FLOOR
		1.50	DIST COVD. AREA ON FIRST FLOOR
		1.50	EXIST COVD. AREA ON SECOND FLOOR
		1.50	OPEN AREA
		1.50	MUMTY AREA
		1.50	COMPOUNDED AREA CALCULATION
		1.50	BASEMENT FLOOR
		1.50	GROUND FLOOR + F.F. LO DOR
		1.50	SECOND FLOOR
		1.50	TOTAL COMP. AREA
		1.50	TOTAL NON COMP. (G.F.+F.F.+S.F.)

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

SRI RAVINDRA KUMAR
S/o - LATE SARJU PRASAD

EDITION NO.:

EDITION NO.:

EDITION NO.:

EDITION NO.:

EDITION NO.:

Mayank Srivastava
SRIVASTAVA & ENGINEERS ASSOCIATES
MAYANK SRIVASTAVA
M.Tech. (Structures), M.B.A.
M.I.Mech. Engg, M.I.C.I.
M.I.C.E., M.I.Mech.E., N.I.M.I., I.M.I.C.I.
47771 HIGHWAY Engineers (India).
www.mayanksrivastava.com

SIG. OWNER

SIG. OF ENG.

Mayank Srivastava
SRIVASTAVA & ENGINEERS ASSOCIATES
MAYANK SRIVASTAVA
M.Tech. (Structures), M.B.A.
M.I.Mech. Engg, M.I.C.I.
M.I.C.E., M.I.Mech.E., N.I.M.I., I.M.I.C.I.
47771 HIGHWAY Engineers (India).
www.mayanksrivastava.com